संख्या 023/वीजीएल/052

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, जीपीओ काम्प्लैक्स,
ब्लाक-ए, आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक 26.06.2023

परिपत्र संख्या 05/06/23

विषय: **अतिरिक्त प्रभारधारितमुख्य सतर्कता अधिकारियों को सुविधाएं, भत्ते, अनुलब्धियाँ आदि की पात्रता– संबंधी।**

संदर्भ:- **आयोग का दिनांक 29.07.1999 का परिपत्र सं. 3(v)/99/5**
आयोग का दिनांक 17.09.2003 का परिपत्र सं. 003/वीजीएल/18
आयोग का दिनांक 06.07.2006 का परिपत्र सं. 25/07/06
डीओपीटी का दिनांक 12.10.2010 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 372/21/2009-एवीडी-III
डीओपीटी का दिनांक 12.07.2012 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 372/9/2012-एवीडी-III
डीओपीटी का दिनांक 01.07.2019 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 40/2/2018-ईओ(एमएम-सीवीओ)
डीओपीटी का दिनांक 01.07.2021 का कार्यालय ज्ञापनसंख्या 40/2/2018-ईओ(एमएम-सीवीओ)

मुख्य सतर्कता अधिकारियों को प्रभावी सतर्कता प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार के संगठनों में सतर्कता इकाइयों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. प्रत्येक संगठन के लिए पृथक मुख्य सतर्कता अधिकारीहोना आवश्यक है और प्रमुख संगठनों में,मुख्य सतर्कता अधिकारीकी नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर की जाती है। तथापि, कुछ अवसरों पर, प्रशासनिक कारणों से, किसी संगठन में मुख्य सतर्कता अधिकारीके पद पर नियुक्त अधिकारी को अस्थायी आधार पर किसी अन्य संगठन में मुख्य सतर्कता अधिकारीके रूप में कार्य करने के लिए अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

3. केंद्रीय सतर्कता आयोग और डीओपीटी ने समय-समय पर मुख्य सतर्कता अधिकारियों को देय वेतन संरचना, स्थिति, सुविधाओं, भत्तों और अनुलब्धियोंके संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। एक से अधिक संगठन में मुख्य सतर्कता अधिकारी का प्रभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में पारदर्शिता लाने तथा अस्पष्टता दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता हैकि वेतन, सुविधाएं, भत्ते और अनुलब्धियोंका लाभ मुख्य सतर्कता अधिकारीको, वैसा ही देय होगा, जैसा उन्हें संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में देय है, जहां वे **'मूल प्रभार'**संभाल रहे हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी को उस संगठन से किसी भी सुविधा, भत्ते, अनुलब्धिआदि के लिए अनुरोध नहीं करना चाहिए या लाभ नहीं उठाना चाहिए,जहाँ वे केवल अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।

4. संगठन,जहाँ कोई अधिकारी अतिरिक्त प्रभार के आधार पर मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं, वहाँ उन्हें आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना जारी रखना चाहिए। आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कार्यालय परिसर के उपयोग, पर्याप्त सहायक कर्मचारियों, कार्यालय में सचिवीय सहायता, टेलीफोन, अन्य कार्यालय उपकरण, यात्रा, आधिकारिक दौरों आदि पर आवासके रूप में ऐसा समर्थन हो सकता है।

5. इसे तत्काल प्रभाव से सख्ती से अनुपालन हेतु नोट किया जाए।

ह०/-
(राजीव वर्मा)
निदेशक

सेवा में,

(i) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव

(ii) सीपीएसयू/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कंपनियाँ/स्वायत्त निकाय आदिके सभी मुख्य कार्यकारी

(iii) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसयू/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/स्वायत्त निकायों आदि के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी

(iv) सीवीसी की वेबसाइट